

करार AGREEMENT

यह करार अंग्रेज़ी पाठ में उल्लिखित दिनांक से भारत के राष्ट्रपति की ओर से दक्षिण रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य) मदुरै मंडल, दक्षिण रेलवे, मदुरै - 16 द्वारा आगे से "दक्षिण रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन" या "एडमिनिस्ट्रेशन" के नाम से जाना जाता है, जो कि अभिव्यक्ति है, हालांकि, संदर्भ मानते हैं कि उनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी शामिल हैं और अंग्रेज़ी पाठ में उल्लिखित ठेकेदार का नाम, पता, कार्यालय का पता अनुसार है इसके बाद "ठेकेदार" या "विज्ञापन एजेंसी" कहा जाता है, जहां अभिव्यक्ति जहां भी संदर्भ स्वीकार करती है, उसे अपने संबंधित उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों को, इसके उत्तराधिकारी को, जो अंग्रेज़ी पाठ में उल्लिखित स्थानों पर वाणिज्य विज्ञापन के उद्देश्य के लिए शामिल करने के लिए समझा जाएगा। An agreement made this.....day of Two thousandbetween the President of India owning the Southern Railway, represented herein by the Divisional Railway Manger (Commercial), Madurai Division, Southern Railway, Madurai – 16 herein after called “The Railway Administration” or “Administration” which expression shall however, the context admits includes his assigns and successors of the one part and(name of the contractor) residing at..... and having office at Hereinafter called “The contractor” or “Advertising Agency” which expression wherever the context admits shall be deemed to include his / their respective heirs, executors, administrators, legal representatives, its successors assigns on the other for the purpose of display commercial advertisement at

1. अंग्रेज़ी पाठ में उल्लिखित तारीख से यह करार प्रभावी होगी और पांच साल के लिए है और अंग्रेज़ी पाठ में उल्लिखित तारीख में समाप्त होगी और ए) यात्री सूचना के बिना प्रचार के अनुबंध का

Signature of Tenderer

कारण बताए बिना इस करार को निर्णय या तय करने के लिए किसी भी पक्ष को अधिकार है और अनुबंध के एक साल की अवधि पूरी होने के बाद अन्य पक्ष को 6 महीने पूर्व सूचना देकर इस करार पर निर्णय ले सकता है। ख) यात्री सूचना के साथ प्रचार के अनुबंध के कारण और इस तरह के निर्धारण के लिए किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को 6 महीने की पूर्व सूचना देने के बाद इस समझौते को लिखित रूप में समाप्त करने के लिए इस आशय के समझौते को समाप्त करने के पक्ष में इस समझौते को भी प्रदान करना है, बशर्ते कि उक्त समझौते की समाप्ति में इस खंड के तहत इस समझौते को समाप्त करना या उसमें निहित किसी भी धारा को किसी भी दावे या क्षतिपूर्ति के किसी भी दावे या किसी भी अधिकार को प्रभावित करने के लिए नहीं समझा जाएगा, जो रेलवे प्रशासन ने इस समझौते की शर्तों में से किसी के उल्लंघन के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ किया है। उपर्युक्त पत्तों पर पंजीकृत डाक द्वारा ठेकेदार को कोई भी नोटिस, जब तक कि उसमें कोई बदलाव को रेलवे प्रशासन को लिखित रूप में सूचित नहीं किया गया है, पावती नहीं पाया गया है तब तक उसी पते को सही, उचित और पर्याप्त माना जाएगा।

2. That this agreement shall be deemed to come into force and have effect from theday of Two thousand..... and shall unless determined under the provision hereinafter contained in that behalf remain in force **for a period of five years** and be terminable upon on the.....day of.....two thousand..... and provided always that it shall be lawful for a). Either party to determine this agreement without assigning any reason for the contract of publicity without passenger Information and of such determination by giving the other party 6 months prior notice after completion of one-year period of contract. b). Either party to determine this agreement with reason for the contract of publicity with passenger Information and of such determination by giving the other party 6 months prior notice after completion of one year period of contract in writing of this intention to terminate the agreement provided also that the termination of this agreement under this clause or any clauses therein contained shall not be deemed to prejudice or affect any claim or any right of indemnity which the railway administration have against the contractor in respect of any breach of any of the conditions of this agreement herein prior to the termination of the said agreement. Any notice to the contractor by Registered post to the above mentioned addresses, unless any change therein shall have been notified in writing to the railway administration obtaining due acknowledgement thereof shall be considered as proper and sufficient for any purpose in connection with the agreement.

2. अनुबंध अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद या ठेका समाप्त होने या अनुबंध की बाध्यता को पूरा करने या अनुबंध समाप्त होने के संबंध में निर्दिष्ट अनुबंध के अनुसार अनुबंध समाप्त होने पर या कोच को समय-समय पर ओवरहालिंग के लिए बुक किया जाता है तब सभी विज्ञापन प्रदर्शनों को कोच/स्थानों से ठेकेदार द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। इसकी किसी भी स्थिति का उल्लंघन यदि अनुबंध समाप्त होने के बाद ठेकेदार को हटाने में विफल रहता है, तो रेलवे प्रशासन द्वारा उसे हटा दिया जाएगा और इस तरह के हटाने की लागत ठेकेदार से वसूली जाएगी या सुरक्षा जमा के खिलाफ समायोजित की जाएगी। All Advertisement displays should be removed by the

Signature of Tenderer

contractor from the station/location immediately after the contract period is over or if the contract is terminated as per the clauses hereunder specified in regard to the execution and fulfillment of the contractual obligation or if the contract is terminated due to breach of any of its conditions or the coach is booked for periodical overhauling. If the contractor fails to remove the same after the contract is terminated, the same will be removed by the Railway Administration and cost of the such removing will be recovered from the contractor or adjusted against the security deposit.

3. ठेकेदार को अंग्रेजी पाठ में उल्लिखित अनुबंध-ए के अनुसार वाणिज्यिक विज्ञापनों को स्वीकार करने और प्रदर्शित करने का अधिकार दिया जाएगा, विज्ञापन एजेंसी, रेलवे प्रशासन को प्रदर्शन शुल्क देगा। That the contractor will be given the rights of display of commercial advertisements as specified in **schedule 'A'** for a lumpsum payment towards display charges to be paid by the advertising agency to the railway administration.
4. ठेकेदार अनुबंध-ए के अनुसार ही उल्लिखित विशिष्ट मीडिया द्वारा ही वाणिज्यिक विज्ञापनों को प्रदर्शित करेगा और अतिरिक्त स्थानों पर नहीं करना है। यदि अतिरिक्त स्थानों का आबंटन होता है तो आनुपातिक लाइसेंस शुल्क भरना है। तथापि स्थान कम स्थानों पर ही विज्ञापन करता है तो उस वास्ते लाइसेंस का शुल्क कम नहीं किया जाएगा। That the contractor shall provide specified media only as per the schedule A and no additional area should be occupied. In case of allotment of additional area the contractor shall pay proportionate licence fee. However, in case of lesser occupation licence fee will not be decreased.
5. ठेकेदार प्रदर्शित किए जाने वाले सभी विज्ञापनों की योजना / पाठ / डिजाइन को प्रदर्शित करने के पहले रेलवे प्रशासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा। That the contractor shall separately show the plan / text / design of all the advertisements to be displayed and obtain prior approval of the railway administration for such displays.
6. शराब, परिवहन, अश्लीलता और किसी भी अन्य विज्ञापन जिन्हें कानून की दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है या अन्यथा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। सरकार के विभिन्न अधिनियम और कानूनों के तहत निषिद्ध विज्ञापनों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। डिजाइन और विज्ञापन सामग्री में किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं होगी। ठेकेदार इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और यहां के कानून के तहत उत्तरदायी होगा। Liquor, transport, obscenity and any other advertisements that are considered objectionable in the eyes of law or otherwise shall not be displayed. Advertisements prohibited under various acts and laws of the government shall not be displayed. There shall not be any sort of obscenity in the design and in the advertisement material. The contractor shall be fully liable for any contravention in this regard and shall be liable under the law of the land.
7. रेलवे प्रशासन किसी भी कारण से समझौते के तहत इस अनुबंध को पूरी तरह से बंद करने के कारण ठेकेदार को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। That the railway administration shall not be responsible for any loss or damage caused to the contractor due to total discontinuance of this contract under the agreement for any reason whatsoever.
8. प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क अंग्रेजी पाठानुसार है जो केवल प्रथम वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम गारंटीकृत राशि के रूप में लिया जाता है। लाइसेंस शुल्क प्रत्येक 3/6 महीने की

Signature of Tenderer

अवधि पर 18% (या लागू%) के साथ देय होगा और चौथे और पांचवें वर्ष का लाइसेंस शुल्क पिछले वर्ष के लाइसेंस शुल्क से 10% तक बढ़ाया जाएगा और बाद में शुरू होने से एक महीने के पहले अग्रिम में भुगतान किया जाना है । The **annual licence fee for the first year is Rs. _____** which is taken as minimum guaranteed amount for first year period upto_____ Only. The licence fee shall be payable alongwith GST of 18% (or applicable %) on every 3 / 6 months period and the licence fee of fourth and fifth year will be escalated by 10% over the previous year licence fee and shall be paid one month in advance before commencement of the subsequent period.

9. अनुबंध की अवधि अंग्रेजी पाठानुसार पांच साल के लिए है (अनुबंध की शुरुआत वास्तविक तिथि है या 90 वें दिन अनुबंध की समाप्ति के दिन, जो कि पहले हो, एल.ओ.ए. में सूचीबद्ध शर्त की पूर्ति के अधीन है।) The period of contract is for **Five** years from _____ to_____. (The Date of commencement of contract is the actual date of display or expiry of 90th days of acceptance of the contract whichever is earlier subject to fulfillment of the condition listed in the Letter of Award.)
10. कम से कम 90 दिनों के पहले नोटिस देकर रेलवे प्रशासन किसी भी कारण / कारण बताए बिना समझौते को समाप्त करने का अधिकार रखता है और आनुपातिक के अलावा अन्य ऐसी समाप्ति के कारणों के लिए ठेकेदार किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा। गैर-प्रदर्शन की अवधि के लिए प्रदर्शन शुल्क वापस दिया जाएगा। That the railway administration reserves the right to terminate the agreement without assigning any reason / reasons at any time by giving notice of not less than 90 days and the contractor shall not be entitled for any compensation for damages caused by reasons of such termination other than proportionate abatement of display charges for the period of non-display.
- 11.(i) अनुबंध की शर्तों और शर्तों की उचित और संतोषजनक पूर्ति के लिए ठेकेदार को अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट (एसडी) के रूप में जमा करना होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुबंध पूरा किया गया है और रेलवे प्रशासन के सभी बकाया राशि दे दी गई है तो एसडी को संतोषजनक निष्पादन पर ब्याज के बिना वापस कर दिया जाएगा। एजेंसी की ओर से विफलता की स्थिति में संतोषजनक ढंग से शर्तों को पूरा न करने या रेलवे प्रशासन को किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए है तो, रेल प्रशासन को एसडी को पूर्ण रूप से रोकने और अन्य सामग्री आदि को बिना पक्षपात के कानून के तहत लागू किसी भी अन्य जोखिम कार्रवाई के लिए जब्त करने का अधिकार होगा। । लाइसेंस संख्या में वृद्धि के कारण एसडी में अंतर यदि खंड 8. सुपरा के संदर्भ में है, तो इसका भुगतान भी अगले साल के शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। That the contractor will have to deposit as Security deposit (SD) separately, for the due and satisfactory fulfilment of the terms and conditions of the contract, The SD will be refunded without interest on satisfactory execution and completion of the contract taking into consideration that all railway administration dues are cleared. In the event of failure on the part of the agency fulfilling the conditions satisfactorily or to pay any other charges due to railway administration, the railway administration shall have the right to forfeit the SD in full and confiscate other materials etc. of the party without prejudice to any other risk action applicable under law. The difference in SD due to enhancement of licence fee if any in terms of clause No.8 supra, should also be paid before the commencement of next year.

Signature of Tenderer

- 11(ii) रेलवे प्रशासन काे प्रदर्शन शुल्क, विद्युत शुल्क या किसी अन्य शुल्क के निर्धारित एकमुश्त भुगतान में ठेकेदार की ओर से विफलता की स्थिति में, रेलवे प्रशासन अनुबंध को तुरंत समाप्त करने और विज्ञापनों, प्रशासन को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों के बिना किसी पूर्वाग्रह के ठेकेदार की अन्य सामग्री को जब्त करने का अधिकार है। In the event of failure on the part of the contractor in payment of prescribed lump sum payment of display charges, electrical charges or any other charges due to the railway administration, the railway administration have the right to terminate the contract immediately and confiscate the advertisements and other materials of the contractor without prejudice to any other rights available to the Administration.
12. ट्रेनों और इंजनों की लगातार आने जाने के मद्देनजर, ट्रैक के पास काम करते समय ठेकेदार अपने काम करने वालों को सावधान रहने की चेतावनी देगा। जीवन या सामग्री के नुकसान के कारण या ट्रैक पर दुर्घटनाओं के कारण हुई चोटों के कारण या छत पर काम करने वाले कर्मचारियों और ठेकेदार द्वारा आवश्यक सुरक्षा के लिए प्रशासन इस संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें ठेकेदार द्वारा बीमा कवर प्रदान करना शामिल है। That the contractor shall warn his workmen to be careful when working near the track side in view of movement of trains and engines continuously. The administration will not accept any claim in this regard due to loss of life or materials or due to injuries caused due to accidents on the track or in workshops such working on roof and necessary protection shall be made by the contractor including providing insurance cover for the staff and materials involved.
13. अनुबंधकर्ता श्रम के लिए लागू सभी वैधानिक नियमों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जैसा कि अन्य राज्य और केंद्र सरकार के वैधानिक नियम काम से जुड़े हैं जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधान, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 आदि, कोई देयता नहीं जो भी इन नियमों का पालन करने के लिए एजेंसी की ओर से किसी भी विफलता के लिए प्रशासन जिम्मेदार न होगा। That the contractor shall be solely responsible for the compliance of all statutory regulations applicable to contract labour as also other state and central government statutory regulations associated with the work such as provisions of minimum wages act 1948. The workmen compensation act 1923 etc., No liability whatsoever shall attract to the administration on account of any failure on the part of the agency to observe these regulations.
14. भारतीय गणतंत्र में, तत्कालीन समय के लिए अनुबंध को नियंत्रित करने वाला कानून, इस समझौते को भी नियंत्रित करेगा। The law that governs the contract for the time being, in force, in the Republic of India, shall govern this agreement also.
15. ठेकेदार का कार्य किसी भी स्थानीय प्राधिकरण और किसी भी पानी और प्रकाश कंपनियों या उपक्रमों के कार्यों और विनियमों और कानूनों से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुरूप होगा, जिसके कार्य को प्रस्तावित किया जाना है और कोई भी बदलाव करने से पहले प्रस्तावित किया जाएगा। दक्षिण रेलवे द्वारा आहरित किए जाने वाले आरेखण या विशिष्टताओं से अभियंता को एक नोटिस दिया जा सकता है जो प्रस्तावित विविधता को निर्दिष्ट करता है और भिन्नता बनाने का कारण बताता है और जब तक वह इंजीनियर से निर्देश प्राप्त नहीं करता है तब तक इस तरह की विविधता को लागू नहीं करेगा। ठेकेदार को प्रतिमाओं, विनियमों या उप-कानूनों द्वारा

Signature of Tenderer

दिए गए सभी नोटिस देने के लिए बाध्य किया जाएगा, जैसा कि पूर्वोक्त है और इसलिए किसी भी प्राधिकरण को देय सभी शुल्क और करों का भुगतान करना है। That the contractor shall conform to the provisions of any statute relating to the works and regulations and by-laws of any local authority and of any water and lighting companies or undertakings with whose system the work is proposed to be connected and shall before making any variations from the drawings or the specifications that may be necessitated by the Southern Railway give to the engineer a notice specifying the variation proposed to be made and the reason for making the variation and shall not carry out such variation until he has received instructions from the engineer in respect therefore. The contractor shall be bound to give all notices given by statutes, regulations or by-laws, as aforesaid and to pay all fees and taxes payable to any authority in respect therefore.

16. अनुबंध के संबंध में रेलवे प्रशासन को किए गए सभी नोटिस, संचार, संदर्भ और शिकायतें लिखित रूप में होंगी और कोई नोटिस, संचार, संदर्भ या शिकायत लिखित रूप में नहीं होने पर मान्यता प्राप्त नहीं होगी। All notices, communications, references and complaints made to the Railway administration concerning the contract shall be in writing and no notice, communication, references or complaints not in writing shall be recognized.
 17. रेलवे प्रशासन के पास या उसके कब्जे वाली कोई भी भूमि रेलवे की अनुमति के बिना विज्ञापन एजेंसी के कब्जे में नहीं होगी। विज्ञापन एजेंसी कामों को निष्पादित करने के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए साइट का उपयोग करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगी। No land belonging to or in possession of the railway administration shall be occupied by the advertisement agency without the permission of the railway. The advertisement agency shall not use or allow to be used the site for any purpose other than that of executing the works.
 18. एजेंट के कार्यकर्ता या सामग्रियों को ट्रेन से या एजेंसी या उसके एजेंट के उपयोग के लिए कोई रेलवे पास तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि इस समझौते में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। No Railway pass for the conveyance of agent's labour or materials by train or for the use of the agency or his agent shall be granted unless otherwise specified in this agreement.
 19. ठेकेदार एक जिम्मेदार एजेंट को चौबीस घंटे रखेगा और वह नोटिस प्राप्त करेगा, खुद को रेलवे को समर्पित करेगा और रेलवे द्वारा एजेंट को दिए गए आदेशों को उसी बल पर मानेगा जैसे कि उनको एजेंसी को दिया गया है। That the contractor shall place and keep a responsible agent at the works round the clock and he shall on receiving reasonable notices, present himself to the railways and the orders given by the railway to the agent shall be deemed to have same force as if they had been given to the Agency.
 20. ठेकेदार क्षतिपूर्ति करेगा और रेलवे प्रशासन को हानिरहित और सभी कार्यों, मुकदमों, कार्यवाही, नुकसान, लागत, हर्जाना, शुल्क, दावों, हर प्रकृति और विवरण की शर्तों के खिलाफ और नए रूप से यदि कोई हो, तो ठेकेदार या एजेंसी का कमीशन या चूक उनके एजेंट या कर्मचारी कार्यों के निष्पादन में या उसी की रखवाली में रेलवे प्रशासन द्वारा मुआवजे के माध्यम से देय सभी रकम को ठेकेदार द्वारा रेलवे प्रशासन को देय धनराशि माना जाएगा और ठेकेदार द्वारा रेलवे प्रशासन को चुकाने में विफलता पर, इसके द्वारा भुगतान किया गया कोई भी धन, जैसा कि पूर्वोक्त मांग 7 दिनों के बाद, रेलवे प्रशासन इसके लिए या रेलवे के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय या उससे होने वाली किसी भी धनराशि को वसूलने का हकदार होगा। The contractor shall indemnify and save harmless the railway administration from and against all actions, suits, proceedings, losses, costs, damages, charges, claims, demands of every
- Signature of Tenderer

nature and description brought out if any, commission or omission of the contractor / agency or his agents or employees in the execution of the works or in the guarding of the same. All sums payable by way of compensation by the railway administration shall be deemed to be moneys payable to the railway administration by the contractor and on failure by the contractor to repay the railway administration, any money paid by it, as aforesaid within 7 days after the same has been demanded, the railway administration shall be entitled to recover the same from any moneys due or accruing to the contractor under this or any other contract with the railways.

21. ठेकेदार स्थानीय या आयातित श्रम के नियोजन के लिए लागू होने वाले समय के लिए सभी कानूनों, उपनियमों और नियमों के अनुरूप कार्य करेगा और सीधे कार्यरत सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सुनिश्चित करने और संरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतेंगे। That the contractor shall act in conformity with all laws, bylaws rules and regulations for the time being in force pertaining to the employment of local or imported labour and shall take all necessary precautions to ensure and preserve the health and safety of all staff employed directly or indirectly.
22. ठेकेदार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं करेगा। ठेकेदार बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, 2016 ("सीएलपीआर अधिनियम") में संशोधन के अनुरूप कार्य करेगा। That the contractor shall not employ children below the age of 14. The contractor shall act in conformity with **Child Labour** (Prohibition and Regulation) **Act**, 1986, amended in 2016 ("CLPR Act").
23. रेलवे प्रशासन की ओर से निर्धारित एकमुश्त भुगतान लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य शुल्क के भुगतान में ठेकेदार की ओर से विफलता की स्थिति में, रेलवे प्रशासन को प्रदर्शन को बंद करने और विज्ञापनों और अन्य सामग्रियों को पक्षपात के बिना जब्त करने का अधिकार होगा ठेकेदार किसी भी अन्य अधिकार को पक्षपात के बिना प्रशासन को सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार होगा। In the event of failure on the part of the contractor in payment of prescribed lump sum payment license fee or any other charges due to Railway administration, the railway administration will have the right to discontinue the display forthwith and confiscate the advertisements and other materials of the contractor besides forfeiting the security deposit without prejudice to any other rights available to the administration.
24. यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी कि आग के खतरे न हों। अग्निरोधक सामग्री का उपयोग केवल दक्षिण रेलवे प्रणाली में किया जाना चाहिए। The arrangement shall be such to ensure that there will be no fire hazards. Fireproof materials only shall have to be used in Southern Railway system.
25. ठेकेदार द्वारा प्रदर्शन प्रणाली की स्थापना के दौरान यदि डिब्बों का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है, तो प्रशासन की पूरी संतुष्टि के लिए उसे एजेंसी द्वारा तुरंत अपनी लागत पर अच्छा बनाया जाएगा। अन्यथा भी, विज्ञापनों को ठीक करने के बाद, रेलवे प्रशासन की संपूर्ण संतुष्टि के लिए एजेंसी द्वारा दीवार की सतह को उसके मूल आकार / रंग में पूरी तरह से बहाल किया जाएगा। ऐसा करने में विफलता की स्थिति में, एसडी में परिवर्तित सुरक्षा जमा / ईएमडी अनुबंध की समाप्ति के अलावा जब्त कर ली जाएगी। During installation of display system by the contractor if any portion of the coaches is damaged or spoiled, the same shall be made good immediately by the agency at its own cost to the entire satisfaction of the administration. Even otherwise; after fixing of the advertisements, the wall surface shall be

Signature of Tenderer

fully restored to its original shape / colour by the agency at its own cost to the entire satisfaction of the railway administration. In the event of failure to do so, security deposit / EMD converted to SD will be forfeited besides termination of the contract.

26. (i) अनुबंध की अवधि के दौरान, ठेकेदार प्रशासन की अनुमति के साथ अपने द्वारा दिए गए विज्ञापनों को अनुमोदित संरचनात्मक योजना और तकनीकी विवरण के अनुसार प्रशासन की संपूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी लागत पर संशोधित कर सकते हैं। During the contract period, the contractor may modify the advertisements provided by them as and when required with the permission of the administration. at his own cost to the entire satisfaction of the administration as per approved structural plan and technical details.
26. (ii) प्रदर्शित सभी वाणिज्यिक विज्ञापन / मीडिया विज्ञापन एजेंसी की कीमत पर संतोषजनक स्थिति में बनाए रखे जाएंगे। इन्हें अनुबंध अवधि के दौरान साफ सुथरा रखा जाएगा। यदि कोई प्रदर्शन 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए बंदसूत रहता है, तो प्रशासन एजेंसी से प्रति सप्ताह ₹500.00 (पांच सौ) का जुर्माना या प्रत्येक दोषपूर्ण प्रदर्शन के लिए लेगा। सप्ताह सोमवार के 00.00hrs से माना जाता है। All the commercial advertisements/media displayed shall be maintained in satisfactory condition at the cost of the advertising agency. These shall be kept neat and tidy throughout the contract period. If any display remains ugly for a period exceeding 24 hrs, the administration will recover from the agency a fine of **Rs.500.00 (Rs. Five hundred)** per week or part thereof for every defective display. The week counts from 00.00hrs of Monday.
- 26 (iii) ठेकेदार विज्ञापन के रखरखाव के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेजते समय प्रशासन की मंजूरी लेगा, जिसमें विद्युत फिटिंग आदि शामिल हैं। That the contractor shall take approval of the administration while sending its authorised representative for maintenance of the advertisement displays including electrical fittings etc.,

27(1). जुर्माना PENALTY:

प्रशासन द्वारा निम्नलिखित आधारों पर जुर्माना लगाया जाएगा Penalty shall be levied by the Administration on the following grounds:

- 27.(2): लाइसेंसधारक की ओर से या उसके किसी एजेंट, नौकर, काम करने वाले या किसी भी व्यक्ति को इस समझौते के प्रावधानों के कदाचार या उल्लंघन के लिए प्रशासन द्वारा अनुबंध के नियम और शर्तों से तय की गई राशि जो ₹5000/- तक हो सकता है की क्षतिपूर्ति करने के लिए लाइसेंसधारी उत्तरदायी होगा। The licensee shall be liable to pay damage up to a sum Rs.5000/- as decided by the Administration for misconduct or breach of provisions of this agreement on the part of the licensee or any of his/her agents, servants, workmen to observe or perform any of the terms and conditions of the contract.
- 27(3). जांच के बाद खराब आचरण करने पर, लाइसेंसधारी का कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर उपद्रव पैदा करता हुआ पाया गया या प्रशासन के लिए हानिकारक कोई अन्य अपराध करते हैं तो यदि लाइसेंसधारी का स्टाफ नशे में पाया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। Penalty shall be levied if licensee's staff found drunk/indulging in bad conduct after proper charges investigation, any staff of the licensee found creating nuisance on duty or any other offence committed detrimental to the administration.

Signature of Tenderer

27(4). देय लाइसेंस शुल्क के विलंबित भुगतान पर 18% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज प्राप्त होगा और यदि ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल / समायोजित किया जाएगा। The delayed payment of license fee due will attract penal interest @ 18% per annum and if interest is not paid, the same will be recovered/adjusted from Security Deposit.

27(5) अतिरिक्त एरिया/क्षेत्र पर प्रदर्शन Display of Excess area:

यद यह पाया गया है कि सफल ठेकेदार ने प्रदर्शन के लिए मसौदा योजना को मंजूरी दी गई अनुबंध क्षेत्र / संख्या से अधिक में विज्ञापन प्रदर्शित किए थे, तो उस अनुपात के लएटइस तरह के प्रदर्शन और अनुबंध के लिए दंड के रूप में प्रशासन द्वारा स्वीकृत दर से, चार गुणा अधिक इस तरह के अतिरिक्त क्षेत्र या संख्या के लिए दंडित किया जा सकता है। आवश्यक समझे जाने पर समाप्त करने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अलावा, लाइसेंसधारी की लागत पर रेलवे प्रशासन को ऐसी सभी विज्ञापन सामग्रियों को हटाने का अधिकार है। In the event it is found that the successful Contractor had displayed advertisements in excess of the contract area/number as approved vide the draft plan for display, then he/she is liable to be penalized for such excess area or number at **FOUR** times the proportionate rate accepted by the administration, as penalty for such display and the contract is also liable to be terminated if deemed necessary. In addition, the Railway Administration has the right to take away all such advertisement materials at the Licensee's cost.

28. अगर प्रदर्शन मीडिया किन्हीं कारणों से प्रदर्शित नहीं करता है ताे प्रशासन किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। That the administration shall not be responsible or liable to pay any compensation, if the display media is not displayed for any reasons, whatsoever.

29. रेलवे प्रशासन को यह अधिकार है कि वह किसी सूचना के बिना ठेकेदार को विज्ञापन प्रदर्शन को मिटाने या संशोधित करने के लिए कह सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो और इस तरह की निष्कासन / शिफ्टिंग एजेंसी को अपनी लागत पर करनी होगी और एजेंसी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा । Railway Administration reserves the right to ask the contractor to erase or modify the advertisement display without any notice if it is so required and such removal / shifting will have to be done by the agency at its own cost and no compensation will be payable to the agency.

30. विज्ञापन प्रणाली के सभी उपकरणों, जुड़नार और संपत्ति की देखभाल और हिरासत एजेंसी की जिम्मेदारी होगी और रेलवे परिसर के भीतर प्रणाली के उपकरण / फिक्स्चर आदि के किसी भी नुकसान / क्षति के लिए, प्रशासन से कोई दावा नहीं होगा। Care and custody of all the equipments, fixtures and property of the advertising system shall be the responsibility of the agency and for any loss / damage of the equipment / fixtures etc., of the system within the railway premises, no claim shall lie against the administration.

31. ठेकेदार प्रशासन को किसी भी तरह के जोखिम / क्षति या नुकसान से और पूरी तरह से दूर रखेगा और जो भी संपत्ति या कार्मिक को रोजगार के तहत नुकसान मिला है, वह विज्ञापन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। प्रशासन किसी भी दोष के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है, हालांकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो एजेंसी से संबंधित विज्ञापन प्रणाली या विज्ञापन सामग्री की स्थापना में हो सकता है। एजेंसी, पेटेंट के उल्लंघन के कारण किसी भी दावे के लिए प्रशासन को निंदनीय नहीं

Signature of Tenderer

बनायेगी और पूरी तरह से दूर रखेगी। That the contractor shall keep the administration indemnified and completely absolved of any risk / damage or loss and whatsoever caused to the property or the personnel under employment, of their duty connected with the advertising system. The administration accepts no responsibility for any defect no matter however caused which may occur in the installation of advertising system or advertising material belonging to the agency. The agency, shall keep the administration indemnified and completely absolved of any claim on account of breach of patents etc.

32. ऊपर उल्लिखित इन शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, समझौते को बिना किसी कारण बताए समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा। अनुबंध की इस तरह की समाप्ति सुरक्षा जमा (एसडी) / ईएमडी को जब्त कर लेगी। In case of breach of any of these conditions mentioned above, the agreement will be liable to be terminated without assigning any reasons and the decision of the administration in this regard shall be final and binding on the agency. Such termination of contract will entail forfeiture of security deposit (SD)/ EMD.
33. किसी भी कारण पर मुआवजे के भुगतान के लिए ठेकेदार का प्रशासन के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। That the contractor will have no claim against the administration for payment of compensation on any account.

34. क्षतिपूर्ति Indemnity:

34.1. लाइसेंसधारी रेलवे प्रशासन को किसी भी तरह के जोखिम या नुकसान से निजात दिलाएगा और पूरी तरह से अनुपस्थित रखेगा, हालांकि उसकी संपत्ति में किसी भी तरह की गड़बड़ी के कारण या उनके कर्मियों को रोजगार के तहत या अन्यथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में लगे हुए हैं जो उनके प्रदर्शन से जुड़े हैं विज्ञापन जिनमें कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत दावे शामिल हैं। रेलवे प्रशासन ठेकेदार से संबंधित विज्ञापन सामग्री के किसी भी नुकसान के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है, चाहे वह कैसे भी क्यों न हो। The licensee shall keep the Railway Administration indemnified and completely absolved of any risk damage or loss, however caused due to any kind of disturbances to their Property or to their personnel under employment or otherwise engaged by them in discharge of their duties connected with the display of advertisements including claims under the Workmen's Compensation Act. The Railway Administration accepts no responsibility for any loss damage of advertising materials belonging to the contractor, no matter how so ever caused.

34.2. लाइसेंसधारी रेलवे प्रशासन को रेलवे प्रशासन की संपत्ति को किसी भी नुकसान या क्षति के खिलाफ और / या किसी भी अधिनियम के तहत किसी भी दावे के खिलाफ रेलवे प्रशासन के कर्मचारी की मृत्यु, या अक्षमता के लिए रेलवे के कर्मचारी या किसी भी तीसरे पक्ष सहित किसी भी अधिनियम के तहत हाे

Signature of Tenderer

क्षतिपूर्ति करेगा। इस संबंध में या क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क या खर्च जाे किसी भी तरीके से उत्पन्न होनेवाला हाे, व्यक्तियों को चोट को और रेलवे प्रशासन द्वारा ठेकेदार के यहा मांग किये जाने पर तुरंत प्रतिपूर्ति की जानी है। The licensee shall indemnify the Railway Administration against any loss or damage to the property of the Railway Administration and/or against any claims under any Act in force including workmen's Compensation Act made for the employee of the Railway Administration or any Third party for death, disablement or injury to persons whatsoever, arising out of or in any way of compensation, costs, charges or expenses in this connection shall be considered reasonable and shall be reimbursed by the contractor to the Railway Administration immediately on demand.

34.3. ठेकेदार द्वारा कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ लाइसेंसधारी रेलवे को क्षतिपूर्ति देगा। लाइसेंसधारक रेलवे द्वारा राज्य या केंद्र सरकार के स्थानीय निकायों के किसी भी कानून नीयम आदि के उल्लंघन के कारण किसी भी विज्ञापन को प्रदर्शित करना, जो इस तरह के कानून के विपरीत है, किसी भी प्राधिकारी द्वारा रेलवे पर लगाए गए जुर्माने, दंड, लागत आदि के खिलाफ अनुबंध के दौरान ठेकेदार को पूरा करने का कार्य करना है। । सभी लाइसेंस अनुमतियां आदि, ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जानी हैं और ठेकेदार को रेलवे को किसी भी चूक या कमीशन के लिए क्षतिपूर्ति करना है। The licensee shall indemnify Railway against contravention of laws by contractor. The licensee undertakes to indemnify the Railway against fine, penalty, costs etc. imposed on the Railway by any authority due to contravention of any law statute etc. of the State or Central Government or local bodies by the Contractor in the course of the contract by exhibiting any advertisements, which is contrary to such laws. All licenses permissions etc., are to be obtained by the contractor and the contractor has to indemnify the Railways for any omission or commission.

34.4. लाइसेंसधारक अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971 के प्रावधान का अनुपालन करेगा, जो समय-समय पर संशोधित किया जाता है, जहां भी लागू हो और रेलवे के खिलाफ पूर्वोक्त अधिनियम और नियमों के तहत दावे की क्षतिपूर्ति करेगा। The licensee shall comply with the provision of Contract Labour (Regulation & abolition) Act, 1970 and the Contract Labour (Regulation & abolition) Central Rules 1971, as modified from time to time, wherever

Signature of Tenderer

applicable and shall also indemnify the Railways from and against any claims under the aforesaid act and the rules.

34.5. लाइसेंसधारी श्रम कानूनों और नियमों के तहत बनाए गए सभी प्रावधानों का पालन करेगा और रेलवे अधिनियम और नियमों और रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2018 / ई (LI / AT / CNR / 3 दिनांक 24.01.2018) के प्रावधानों का भी पालन करेगा। इस कार्य के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन कोई अन्य कानून और नियम बनाए गए हैं तो उसका भी पालन करेगा। The licensee shall comply with all the provisions of Labour laws and rules made there under and will also comply with the provisions of the Railway Act and the rules and Railway Board letter no 2018/E(LI/AT/CNR/3 dated 24.01.2018 made there under and any other laws and rules of Central Government, State Government and Local Authorities applicable to this work

34.6. लाइसेंसि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत सीधे उसके द्वारा नियोजित श्रम को मजदूरी का भुगतान करेगा और भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधान का भी पालन करेगा। The licensee shall pay the wages to labour employed by him directly under the provisions of Minimum Wages Act 1948 and shall also comply with the provision of Payment of Wages Act 1936.

34.7. रेलवे की कोई भी सुविधा जैसे पास, रियायती टिकट और रेलवे में रोजगार पर विचार लाइसेंसधारी कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगा। लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। No Railway facilities such as pass, concessional ticket, and consideration of employment in Railways will be available to licensee's employees. The licensee shall be fully responsible for the welfare of his employees.

34.8. लाइसेंसधारी कर्मचारियों को रेलवे के तहत रोजगार के लिए दावे का कोई अधिकार नहीं होगा। लाइसेंसि ऐसे दावों के खिलाफ रेलवे को दोषी ठहराएगा और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। Licensee's employees shall not have any right of claim for employment under the Railways. The licensee shall indemnify and keep indemnified the Railways against such claims.

34.9. लाइसेंसधारी अपने कर्मचारियों के कर्तव्यों और उनके आचरण और व्यवहार के लिए मेहनती प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होगा। The licensee shall be responsible for diligent performance of the duties of his employees and for their conduct and behavior.

34.10. रेलवे के अन्य अधिकारों के पक्षपात के बिना, रेलवे मुआवजे, सुरक्षा जमा या रेलवे द्वारा मांग, लागत, शुल्क और व्यय के लिए देय राशि से कटौती करने का हकदार होगा या रेलवे द्वारा किया जाएगा। रेलवे अपने कर्मचारियों की मृत्यु, चोट या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो रेलवे परिसर में और इयूटी के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं और इस

Signature of Tenderer

तरह के कर्मचारियों के संबंध में रेलवे को किसी भी क्षति / क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की आवश्यकता होती है , लाइसेंसधारी इसके लिए रेलवे को भुगतान करने के लिए सहमत है। Without prejudice to the Railway's other rights, the Railways will be entitled to deduct from the compensation, security deposit or other amount payable to demand, costs, charges and expenses incurred or made by the Railways. The Railways shall not be responsible for death, injury or accident to his employees which may arise out of and in course of their duty in the Railways premises and in the event, the Railways is required to pay any damage/compensation in respect of such employees, licensee hereby agrees to pay to the Railways.

34.11. लाइसेंसधारी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी क्षतिपूर्ति या आदेश या नर्णय के लिए रेलवे प्रशासन को क्षतिपूर्ति करना चाहिए। The licensee should indemnify the Railway Administration towards any compensation or orders or award under the Consumer Protection Act.

35. ठेकेदार के विज्ञापन के लए नगरपालिका या किसी अन्य स्थानीय या सरकारी विभाग से संबंधित, लाइसेंस शुल्क और नगरपालिका करों या / और अन्य स्थानीय कर या किसी अन्य कर / शुल्क आदि का भुगतान करेगा, जहां किसी भी या सभी पर लगाया या बन रहा है। प्रशासन किसी भी राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या ठेकेदार द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी भुगतान की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा। That the contractor shall pay direct to the Municipality or to any other local or Government department concerned, requisite license fees and Municipal taxes or / and other local tax or any other taxes / fees etc., where levied or become leviable on any or on all the advertisements. The administration will not be liable for payment of any sum or reimburse any payment made in this behalf by the contractor.
- 36: गुड्स एंड सर्विस टैक्स: ठेकेदार को प्रशासन को लाइसेंस शुल्क पर समय-समय पर 18% की दर से या भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार जीएसटी का भुगतान करना चाहिए। टेंडर जीएसटीआईएन का एक रजिस्ट्रार होना चाहिए और जीएसटीआईएन का पंजीकरण नंबर प्राप्त करना चाहिए और रेलवे प्रशासन को उसी की एक प्रति देना है। **GOODS AND SERVICE TAX:** The Contractor should pay the GST at the rate of 18% or as per the rate fixed by Government of India from time to time on the license fee to the Administration. The tenderer should be a registrant of GSTIN and obtain registration number of GSTIN and shall produce a copy of the same to Railway Administration.
37. (i) विज्ञापन उचित रंग योजना और अनुक्रम में प्रशासन द्वारा और रेलवे के विनिर्देशों के अनुसार प्रदर्शित किए जाएंगे। The advertisements shall be displayed in proper colour scheme and sequences as directed by the administration and as per specifications of railways.
- 37 (ii) अनुबंध के अनुसार अन्यथा, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले सभी नोटिस और उसकी ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाइयां, मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्यिक), दक्षिणी रेलवे मदुरै 16 द्वारा उनकी ओर से दी जा सकती हैं । Subject as otherwise provided in the contract, all notices to be given on behalf of the President of India and all other actions to be taken on his behalf may be given or taken on his behalf by **the Divisional Railway Manager (Commercial), Southern Railway, Madurai 16.**

Signature of Tenderer

38. मध्यस्थता की मांग **Demand for Arbitration:**

38. (1)(i) पार्षी के बीच किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में उनके संबंधित अधिकारों और विवाद या किसी भी कारण में किसी भी मामले पर विवाद या अंतर के मामले में, या यदि रेलवे प्रशासन उचित समय के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तब और ऐसे किसी भी मामले में, लेकिन इन विवादों में निर्दिष्ट उन मामलों को बचाएं, जो विवादित मामले पर अपने अंतिम दावे को पेश करने के 90 दिनों के बाद और 180 दिनों के भीतर लिखित में मांग करेंगे कि विवाद या अंतर को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। In the event of any dispute or difference of opinion between the parties hereto as to their respective rights and dispute or difference on any matter in question, dispute or difference on any account or if the railway administration fails to make a decision within a reasonable time, then and in any such case, save the matters wherein relief specified in these presents, after 90 days but within 180 days of his presenting his final claim on disputed matter shall demand in writing that the dispute or difference be referred to arbitration.
- 38 (1)(ii)(a) मध्यस्थता की मांग उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो प्रश्न, विवाद या अंतर में हैं। केवल ऐसे विवाद या अंतर के संबंध में जो मांग की गई है, को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और अन्य मामले को संदर्भ में शामिल नहीं किया जाएगा। The demand for arbitration shall specify the matters, which are in question, dispute or difference. Only such dispute(s) or difference(s) in respect of which the demand has been made shall be referred to arbitration and other matter shall not be included in the reference.
- 38 (1)(ii)(b) पार्षी के बीच विवाद होने के बाद, यदि वे इस तरह की छूट के लिए सहमत होते हैं, तो अनुबंध XII के प्रारूप में, लिखित रूप में, पक्ष मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 की उप-धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को इन शर्तों पर समाप्त कर सकते हैं। The parties may waive off the applicability of sub-section 12(5) of Arbitration and Conciliation (Amendment) Act 2015, if they agree for such waiver, in writing, after dispute having arisen between them, in the format given under Annexure XII of these conditions.
- 38 (1)(iii)(a) मध्यस्थता की कार्यवाही को उस दिन से शुरू माना जाएगा जब रेलवे द्वारा लिखित और मध्यस्थता के लिए वैध मांग प्राप्त होती है। The Arbitration proceedings shall be assumed to have commenced from the day a written and valid demand for arbitration is received by the Railway.
- 38 (1)(iii)(b) दावेदार सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दावों का समर्थन करने वाले तथ्यों और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रत्येक दावे के खिलाफ मांगी गई राहत या उपाय के साथ तथ्यों को बताते हुए अपना दावा प्रस्तुत करेगा। The claimant shall submit his claim stating the facts supporting the claims along with all the relevant documents and the relief or remedy sought against each claim within a period of 30 days from the date of appointment of the Arbitral Tribunal.
- 38 (1)(iii)(c) ट्रिब्यूनल द्वारा दावे की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर रेलवे, तब तक अपना रक्षा विवरण और काउंटर दावा प्रस्तुत करेगा, जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा अन्यथा विस्तार नहीं दिया गया हो। The Railway shall submit its defence statement and counter claim(s), if any, within

Signature of Tenderer

a period of 60 days of receipt of copy of claims from Tribunal thereafter, unless otherwise extension has been granted by Tribunal.

- 38 (1)(iii)(d) मध्यस्थता का स्थान: मध्यस्थता का स्थान रेलवे डिवीजन की भौगोलिक सीमा के भीतर होगा जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ या संबंधित रेलवे के मुख्यालय या किसी अन्य स्थान पर दोनों पक्षों की लिखित सहमति से होगी। Place of arbitration: The place of arbitration would be within the geographical limits of the Division of the Railway where the cause of action arose or the Headquarters of the concerned Railway or any other place with the written consent of both the parties.
- 38 (1)(iv) पार्टी द्वारा कार्यवाही के दौरान कोई नया दावा नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि, एक पक्ष इस मामले में विलंब के संबंध में ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृति के अधीन मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान मूल दावे या बचाव के मूल दावे में संशोधन या पूरक कर सकता है। No new claim shall be added during proceedings by either party. However, a party may amend or supplement the original claim or defence thereof during the course of arbitration proceedings subject to acceptance by Tribunal having due regard to the delay in making it.
- 38 (1)(iii)(a) यदि ठेकेदार रेलवे प्रशासन से सूचना प्राप्त करने के 90 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपने विशिष्ट और अंतिम दावे को नहीं करता / करती है, तो अंतिम बिल भुगतान के लिए तैयार है जिसे माना जाएगा कि उसने अपना दावा छोड़ दिया है और रेलवे प्रशासन को उसके दावे के संबंध में अनुबंध के तहत सभी देनदारियों से छुट्टी दे दी जाएगी। If the contractor(s) does/do not prefer his specific and final claim in writing within a period of 90 days of receiving the intimation from the railway administration, that the final bill is ready for payment he will be deemed to have waived his claim and the railway administration shall be discharged and released of all liabilities under the contract in respect of his claim
- 38 (2): मध्यस्थता के दौरान दायित्व: (जहां भी लागू हो): अनुबंध के तहत काम करेगा, जब तक कि अन्यथा रेलवे प्राधिकरण द्वारा निर्देशित न हो, मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान जारी रखें, और रेलवे द्वारा देय या देय कोई भुगतान ऐसी कार्यवाही के कारण रोक नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि हालांकि, यह आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए विचार करने और यह तय करने के लिए खुला होगा कि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान ऐसे काम जारी रहना चाहिए या नहीं। Obligation during Pendency of Arbitration: (wherever applicable): Work under the contract shall, unless otherwise directed by the Railway authority, continue during the arbitration proceedings, and no payment due or payable by the Railway shall be withheld on account of such proceedings, provided, however, it shall be open for Arbitral Tribunal to consider and decide whether or not such work should continue during arbitration proceedings.
- 38 (3): मध्यस्थ की नियुक्ति **Appointment of Arbitrator:**
- 38 (3)(a): मध्यस्थ की नियुक्ति जहां मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को समाप्त कर दिया गया है; Appointment of Arbitrator where applicability of section 12(5) of Arbitration and Conciliation Act has been waived off;
- 38 (3) (a)(i): जिन मामलों में एक साथ जोड़े गए सभी दावों का कुल मूल्य रु। १,००,००,००० से अधिक नहीं है। (केवल एक करोड़ रुपए), मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा, जो महाप्रबंधक द्वारा नामित कम से कम जेए ग्रेड के रेलवे का राजपत्रित अधिकारी होगा। एकमात्र

Signature of Tenderer

मध्यस्थ को उस दिन से 60 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाएगा जब जीएम/एजीएम द्वारा लिखित मध्यस्थता के लिए लिखित और वैध मांग प्राप्त होगी। In cases where the total value of all claims in question added together does not exceed Rs.1,00,00,000.-(rupees one crore only) the Arbitral Tribunal shall consist of Sole Arbitrator who shall be Gazetted Officer of Railway not below JA Grade, nominated by the General Manager. The sole arbitrator shall be appointed within 60days from the day when a written and valid demand for arbitration is received by GM/AGM.

- 38 (3)(a)(ii): क्लॉस 38 (3) (ए) (i) द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले मामलों में, मध्यस्थ के रूप में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में तीन राजपत्रित रेलवे अधिकारियों का एक पैनल शामिल होगा, जो जेए ग्रेड से नीचे नहीं या 2 रेलवे राजपत्रित अधिकारी जेए ग्रेड से नीचे नहीं और एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी जे एएसएजी अधिकारी के पद से नीचे नहीं। इस प्रयोजन के लिए, रेलवे रेलवे के एक या एक से अधिक विभागों के राजपत्रित रेलवे अधिकारियों के कम से कम चार (4) नामों का एक पैनल भेजेगा जिसमें रेलवे के मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों के नाम शामिल हैं। ठेकेदार उस दिन से 60 दिनों के भीतर जब मध्यस्थता की लिखित और वैध मांग जीएम/एजीएम द्वारा प्राप्त की जाती है। In cases not covered by the clause 38(3)(a)(i), the Arbitral Tribunal shall consist of a panel of three Gazetted Railway officers not below JA Grade or 2 Railway Gazetted Officers not below JA Grade and a retired Railway Officer, retired not below the rank of SAG Officer, as the arbitrators. For this purpose, the Railway will send a panel of at least four(4) names of Gazetted Railway Officers of one or more departments of the Railway which may also include the name(s) of retired railway officers empanelled to work as Railway Arbitrator to the contractor within 60days from the day when a written and valid demand for arbitration is received by the GM/AGM.

ठेकेदार को रेलवे द्वारा अनुरोध भेजने की तिथि से 30 दिनों के भीतर ठेकेदार के नामित के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 2 नामों को जीएम/एजीएम को सुझाने के लिए कहा जाएगा। महाप्रबंधक उनमें से कम से कम एक को ठेकेदार के नॉमिनी के रूप में नियुक्त करेगा और साथ ही पैनल से या पैनल के बाहर से मध्यस्थों की बैलेंस संख्या को भी नियुक्त करेगा, जो पैनल से या 3 में से 'अध्यक्ष मध्यस्थ' को दर्शाता है, मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं। जीएम/एजीएम ठेकेदार के नामांकित व्यक्तियों के नामों की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की इस कवायद को पूरा करेंगे। मध्यस्थों को नामित करते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उनमें से एक लेखा विभाग का है। लेखा विभाग के चयन ग्रेड के एक अधिकारी को मध्यस्थ की नियुक्ति के उद्देश्य से रेलवे के अन्य विभागों के एएस ग्रेड में अधिकारियों के बराबर दर्जा माना जाएगा। Contractor will be asked to suggest to General Manager/AGM at least 2 names out of the panel for appointment as contractor's nominee within 30days from the date of dispatch of the request by Railway. The General Manager shall appoint at least one out of them as the contractor's nominee and will also simultaneously appoint the balance number of arbitrators either from the panel or from outside the panel, duly indicating the 'presiding arbitrator' from the panel or from amongst the 3 arbitrators so appointed. GM/AGM shall complete this exercise of appointing the Arbitral Tribunal within 30days from the receipt of the names of contractor's nominees. While nominating the arbitrators, it will be necessary to ensure that one of them is from the Accounts Department. An officer of Selection Grade of the Accounts Department shall be considered of equal status to the officers in SA grade of other departments of the Railway for the purpose of appointment of arbitrator.

Signature of Tenderer

38 (3) (b): मध्यस्थ की नियुक्ति जहां ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को समाप्त नहीं किया गया है Appointment of Arbitrator where applicability of section 12(5) of A&C Act has not been waived off:

मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन (3) सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी का पैनल शामिल होगा, जो मध्यस्थ के रूप में एसएजी अधिकारी के पद से नीचे नहीं होंगे। इस प्रयोजन के लिए, रेलवे के कम से कम चार (4) नामों का एक पैनल उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का संकेत के साथ जो रेलवे के मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए भेजेगा, जब मध्यस्थता के लिए लिखित और वैध मांग प्राप्त होती है उस तारीख से 60 दिनों के भीतर जीएम/एजीएम द्वारा ठेकेदार को भेजा जाएगा। The arbitral tribunal shall consist of a panel of three (3) retired Railway Officer, retired not below the rank of SAG Officer, as the arbitrators. For this purpose, the Railway will send a panel of atleast four (4) NAMES OF RETIRED Railway officers empanelled to work as Railway Arbitrator duly indicating their retirement date to the contractor within 60days from the day when a written and valid demand for arbitration is received by the GM/AGM.

ठेकेदार को रेलवे द्वारा अनुरोध भेजने की तिथि से 30 दिनों के भीतर ठेकेदार के नामित के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 2 नामों को महाप्रबंधक/एजीएम को सुझाने के लिए कहा जाएगा। महाप्रबंधक उनमें से कम से कम एक को ठेकेदार के नॉमिनी के रूप में नियुक्त करेगा और साथ ही पैनल से या पैनल के बाहर से मध्यस्थों की बैलेंस संख्या को भी नियुक्त करेगा, जो पैनल से या 3 में से 'अध्यक्ष मध्यस्थ' को दर्शाता है, मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं। महाप्रबंधक/एजीएम ठेकेदार के नामांकित व्यक्तियों के नामों की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की इस कवायद को पूरा करेंगे। मध्यस्थों को नामित करते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि उनमें से एक लेखा विभाग का है। लेखा विभाग के चयन ग्रेड के एक अधिकारी को मध्यस्थ की नियुक्ति के उद्देश्य से रेलवे के अन्य विभागों के एसए ग्रेड में अधिकारियों के बराबर दर्जा माना जाएगा। Contractor will be asked to suggest to General Manager at least 2 names out of the panel for appointment as contractor's nominee within 30days from the date of despatch of the request by Railway. The GM/AGM shall appoint at least one out of them as the contractor's nominee and will also simultaneously appoint the balance number of arbitrators either from the panel or from outside the panel, duly indicating the 'presiding arbitrator' from amongst the 3 arbitrators so appointed. GM/AGM shall complete this exercise of appointing the Arbitral Tribunal within 30days from the receipt of the names of contractor's nominees. While nominating the arbitrators, it will be necessary to ensure that one of them has served in the Accounts Department.

38. (3)(c)(i): यदि मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए गए मध्यस्थों में से एक या अधिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से इनकार करते हैं, तो मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यालय से वापस ले लेते हैं या अपने कार्यालय / कार्यालयों को खाली कर देते हैं या किसी भी कारण से मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यों को करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं या मर जाते हैं या मर जाते हैं। महाप्रबंधक/एजीएम के विचार में बिना किसी देरी के कार्य करने में विफल रहता है, जीएम नए मध्यस्थ / मध्यस्थों को उसी स्थान पर कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा, जिस तरीके से पहले मध्यस्थ / मध्यस्थ नियुक्त किए गए थे। इस तरह के पुनः गठित ट्रिब्यूनल, अपने विवेक से, उस चरण के संदर्भ के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिस पर यह पिछले मध्यस्थ द्वारा छोड़ा जाता है। If one or more of the arbitrators appointed as above refuses to act as arbitrator, withdraws from his office as arbitrator or vacates his/their office/offices or is/are unable or unwilling to
Signature of Tenderer

perform his functions as arbitrator for any reason whatsoever or dies or in the opinion of the GM/AGM fails to act without undue delay, the GM/AGM shall appoint new arbitrator/arbitrators to act in his/their place in the same manner in which the earlier arbitrator/arbitrators had been appointed. Such re-constituted Tribunal may, at its discretion, proceed with the reference from the stage at which it was left by the previous arbitrator(s).

38. (3) (c)(ii):

a. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास शपथपत्र के माध्यम से ऐसे साक्ष्य के लिए कॉल करने की शक्ति होगी या अन्यथा जैसा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उचित समझेगा, और यह पार्टियों का कर्तव्य होगा कि वे ऐसे सभी कार्य करें या जो आवश्यक हो करें। किसी भी देरी के बिना देने के लिए मध्यस्थ को सक्षम करें। कार्यवाही आम तौर पर दस्तावेजों और लिखित बयानों के आधार पर चलायी जाएगी। The Arbitral Tribunal shall have power to call for such evidence by way of affidavits or otherwise as the Arbitral Tribunal shall think proper, and it shall be the duty of the parties hereto to do or cause to be done all such things as may be necessary to enable the Arbitral Tribunal to make the award without any delay. The proceedings shall normally be conducted on the basis of documents and written statements.

b. किसी भी विवाद के गुण में आगे बढ़ने से पहले, मध्यस्थ न्यायाधिकरण पहले फैसला करेगा और किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी भी याचिका / आपतियों पर अपने आदेश पारित करेगा। यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति के संबंध में कोई मध्यस्थता समझौते के अधिकार क्षेत्र की वैधता और मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत विवाद से निपटने की गुंजाइश, समय सीमा की प्रयोज्यता; किसी भी विवाद के लिए, सुरक्षा के अंतरिम उपायों के लिए मध्यस्थ कार्यवाही या दलील के संचालन के बारे में सहमत प्रक्रिया का कोई भी उल्लंघन और दिन की कार्यवाही में अपने आदेश रिकॉर्ड करता है। न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवाही की एक प्रति दोनों पक्षों को प्रदान की जानी चाहिए। Before proceeding into the merits of any dispute, the arbitral tribunal shall first decide and pass its orders over any plea submitted/objections raised by any party. If any regarding appointment of Arbitral tribunal, validity of arbitration agreement jurisdiction and scope of the tribunal to deal with the dispute(s) submitted to arbitration, applicability of time 'limitation; to any dispute, any violation of agreed procedure regarding conduct of the arbitral proceedings or plea for interim measures of protection and record its orders in day to day proceedings. A copy of the proceedings duly signed by all the members of tribunal should be provided to both the parties.

38. (3) (c)(iii)(i): आर्बिट्रेटर की योग्यता Qualification of Arbitrator(s):

a. सेवारत राजपत्रित रेलवे अधिकारियों जो जेए ग्रेड स्तर से नीचे के की नहीं । Serving Gazetted Railway Officers of not below JA Grade level.

b. सेवानिवृत्त होने के तीन साल बाद, सेवानिवृत्त कम से कम एसए ग्रेड स्तर रेलवे अधिकारी । Retired Railway Officers not below SA Grade level, three years after his date of retirement.

c. नियुक्ति के समय मध्यस्थ की आयु 70वर्ष से कम हो। Age of arbitrator at the time of appointment shall be below 70years.

(ii) मध्यस्थ को कुल मध्यस्थ मामलों की संख्या के बावजूद जिसमें वह पूर्व में नियुक्त किया गया है नियुक्त किया जा सकता है । An arbitrator may be appointed notwithstanding the total number of arbitration cases in which he has been appointed in the past.

(iii) उप-धारा 38 (3) (ए) (आई), 38 (3) (ए) (ii) और 38 (3) (बी) के तहत मध्यस्थ को नियुक्त करते समय, ध्यान रखा जाएगा कि वह / वे / जिनके पास उन मामलों से निपटने का अवसर था

Signature of Tenderer

जिनके साथ अनुबंध संबंधित है या जिन्होंने अपने / अपने कर्तव्यों के दौरान रेलवे सेवक के रूप में या विवाद के तहत सभी या किसी भी मामले पर लगा नहीं है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कार्यवाही या इस तरह के न्यायाधिकरण द्वारा किए गए अवार्ड , हालांकि, केवल इस कारण से अमान्य नहीं होंगे कि एक या अधिक मध्यस्थ ने अपनी सेवा के दौरान, उन मामलों से निपटने का अवसर दिया है, जिनसे अनुबंध संबंधित है या उनके कर्तव्यों के दौरान, जिन्होंने विवाद के तहत सभी या किसी भी मामले पर नहीं लगे हुए हैं। While appointing arbitrator(s) under sub-clause 38(3)(a)(i), 38(3)(a)(ii) & 38(3)(b) above, due care shall be taken that he/they is/are not the one/those who had an opportunity to deal with the matters to which the contract relates or who in the course of his/their duties as Railway servant(s) expressed views on all or any of the matters under dispute or differences. The proceedings of the Arbitral Tribunal or the award made by such tribunal will, however, not be invalid merely for the reason that one or more arbitrator had, in the course of his service, opportunity to deal with the matters to which the contract relates or who in the course of his/their duties expressed views on all or any of the matters under dispute.

38. (3)(d)(i): मध्यस्थ अवार्ड में आइटम वार, योग और इसके आधार पर कारण बताए जाएंगे। विश्लेषण और कारणों को पर्याप्त रूप से विस्तृत किया जाएगा ताकि अवार्ड का अनुमान लगाया जा सके। The arbitral award shall state item wise, the sum and reasons upon which it is based. The analysis and reasons shall be detailed enough so that the award could be inferred there from.
38. (3)(d)(ii). एक पार्टी किसी भी कम्प्यूटेशनल त्रुटियों, किसी भी टाइपोग्राफिक या लिपिक त्रुटियों या ट्रिब्यूनल के पुरस्कार में होने वाली समान प्रकृति की किसी भी अन्य त्रुटि के लिए और अवार्ड प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल को एक विशिष्ट बिंदु की व्याख्या के साथ आवेदन कर सकती है । A party may apply for corrections of any computational errors, any typographical or clerical errors or any other error of similar nature occurring in the award of a tribunal and interpretation of a specific point of award to tribunal within 60days of receipt of the award.
38. (3)(d)(iii): एक पक्ष अधिकरण प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है ताकि मध्यस्थ कार्यवाही में प्रस्तुत दावों के रूप में एक अतिरिक्त अवार्ड बना सके लेकिन मध्यस्थ अवार्ड से हटा दिया गया। A party may apply to Tribunal within 60days of receipt of award to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the arbitral award.
38. (4) ट्रिब्यूनल में तीन सदस्यों के शामिल होने के मामले में, किसी भी निर्णय पर फैसला ट्रिब्यूनल के अधिकांश सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस तरह के बहुमत की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष-मध्यस्थ के विचार अंतिम होगा । In case of the Tribunal comprising of three members, any ruling on award shall be made by a majority of Members of Tribunal. In the absence of such a majority, the views of the presiding arbitrator shall prevail.
38. (5). जहां मध्यस्थता निर्णय पैसे के भुगतान के लिए है, उस तारीख तक किसी भी अवधि के लिए पूरे या किसी भी हिस्से पर किसी भी तरह का कोई ब्याज देय नहीं होगा। Where the arbitral award is for the payment of money, no interest shall be payable on whole or any part of the money for any period till the date on which the award is made.

Signature of Tenderer

38. (6)(a). मध्यस्थता का खर्च संबंधित पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय की गई दरों के अनुसार अंतर-मध्यस्थों में मध्यस्थों का शुल्क शामिल होगा और शुल्क दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, बशर्ते पक्ष इन शर्तों के प्रारूप में एक समझौते पर मध्यस्थता के लिए इन विवादों का जिक्र करते हुए हस्ताक्षर करें। इसके अलावा, मध्यस्थ को देय शुल्क, रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों से शासित होगा, जब तक कानून का विशेष रूप से माननीय अदालत द्वारा अन्यथा मामले पर निर्देशित चाहे वह इस तथ्य से बेपरवाह हो कि रेलवे प्रशासन या न्यायालय द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं या नहीं।
The cost of arbitration shall be borne by the respective parties. The cost shall inter alia include fee of the arbitrator(s), as per the rates fixed by Railway Board from time to time and the fee shall be borne equally by both the parties, provided parties sign an agreement in the format to these condition after/while referring these disputes to Arbitration. Further, the fee payable to the arbitrator(s) would be governed by the instructions issued on the subject by Railway Board from time to time irrespective of the fact whether the arbitrator(s) is/are appointed by the Railway Administration or by the court of law unless specifically directed by Hon'ble court otherwise on the matter.
38. (6)(b)(i). एकमात्र मध्यस्थ होने पर रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क से 25% अतिरिक्त शुल्क का हकदार होगा। Sole arbitrator shall be entitled for 25% extra fee over the fee prescribed by Railway Board from time to time.
38. (6)(b)(ii). यदि निर्णय छह महीने के भीतर किया जाता है तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण 50% अतिरिक्त शुल्क का हकदार होगा। Arbitrator tribunal shall be entitled to 50% extra fee if Award is decided within six months.
- 38 (7). उपर्युक्त मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों और अनुबंध की सामान्य शर्तों के तहत और संबंधित नियमों के अधीन नियमों और इस धारा के तहत मध्यस्थों और मध्यस्थता कार्यवाही की नियुक्ति के लिए लागू होंगे। Subject to the provisions of the aforesaid Arbitration and Conciliation Act 1996 and the rules there under and relevant para of General conditions of contract and any statutory modifications thereof shall apply to the appointment of arbitrators and arbitration proceedings under this clause.
39. इसके अलावा, ठेकेदार या उसकी ओर से किए गए किसी भी उपहार या तोहफा या अवैध संतुष्टि का परिणाम इस अनुबंध के समापन के रूप में होगा। Further any gift or offer or illegal gratification made by the contractor or others on his behalf will result in termination of this contract.
40. यह समझौता रेलवे प्रशासन द्वारा संशोधन कभी भी किया जा सकता है, इस तरह के संशोधन या आशोधन के लिखित रूप में देने के एक महीने के बाद जब तक ठेकेदार ने उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर लिखित में आपत्ति नहीं जताई लागू होगा। This agreement shall at all times be open to revision and amendment by the Railway Administration, after giving one month's notice in writing of such revision or amendment shall take effect unless the contractor has objected thereto in writing within 15 days after the receipt of the said notice.

Signature of Tenderer

41. सिवाय इसके कि यहां कोई व्यवस्था या समझौते या समझौते को मौखिक या लिखित रूप से अलग से किया जाए या उसमें से किसी भी शर्त के इस अनुबंध को पूरक करने का कोई प्रभाव नहीं होगा और सरकार पर तब तक मान्य या बाध्यकारी या लागू नहीं होगा जब तक कि उसी पर समर्थन इस अनुबंध में लिखित रूप में पार्टियों द्वारा औपचारिक रूप से अनुबंध में शामिल नहीं किया जाता है तब तक लागू नहीं होता है। Except as otherwise provided herein any arrangements or agreements or agreement oral or written varying or supplementing this contract of any of the terms thereof shall be of no effect and shall not be valid or binding or enforceable on the Government unless and until the same is endorsed on this contract or incorporation in a formal agreement in writing and signed by the parties hereto.

42. इस समझौते के स्टॉप शुल्क की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। इस समझौते को भारतीय गणराज्य के कानूनों के अनुसार माना जाएगा और मदुरै में अदालतों को इस समझौते से संबंधित सभी मामलों में विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। The cost of the stamp duty of this agreement shall be borne by the contractor .This agreement will be governed by and construed In accordance with laws of Republic of India and the courts at Madurai shall have exclusive jurisdiction in all matters relating to this agreement.

ठेकेदार के हस्ताक्षर

Signature of the Contractor

मंत्रेप्र/वाणिज्य Divisional Railway Manager / Commercial,
दक्षिण रेलवे, मदुरै Southern Railway, Madurai-16.

कृते भारत के राष्ट्रपति For and on behalf of the President of India,

की उपस्थिति में In the presence of

1

2.

की उपस्थिति में In the presence of

1.

2.

Signature of Tenderer